



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय  
( मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित )  
**MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION**  
( Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly )

पत्र क्रमांक : लेखा/2017/ 891

दिनांक : 06.05.2017

**परिपत्र**

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 32 एवं 35 AD में फायनेंस बिल 2017 में किये गये प्रस्तावित संशोधन अनुसार केशलेस व्यवहार हेतु राशि रु. दस हजार या इससे अधिक के भुगतान नगद ना किये जा कर ऑनलाइन अथवा चैक से किये जाने है।

विश्वविद्यालय के कार्यों हेतु जो भी अधिकारी/शिक्षक/कर्मचारी अग्रिम प्राप्त कर कार्य कर रहे है, 01 अप्रैल 2017 से रु. दस हजार या इससे अधिक के भुगतान किसी भी परिस्थिति में नगद न करें। दस हजार से अधिक के भुगतान चैक से अथवा ऑनलाइन नेट/मोबाईल बैंकिंग से भुगतान करें। भुगतान प्रस्ताव में वेट एवं टीडीएस प्रावधानों का भी ध्यान रखा जाए।

अग्रिम समायोजन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ चैक अथवा ऑनलाइन नेट/मोबाईल बैंकिंग से भुगतान का प्रमाण संलग्न करें।

(दीपक शर्मा)  
कुलसचिव

लेखा/2017/क्र...892

दिनांक : 06/05/2017

प्रतिलिपि-

- 01 निज सहायक, कुलपति/कुलाधिसचिव/कुलसचिव सूचनार्थ अग्रेषित।
- 02 समस्त विभागाध्यक्ष की ओर पालनार्थ अग्रेषित।
- 03 प्रभारी नोएडा,खण्डवा,अमरकटक,ग्वालियर एवं रीवा की ओर पालनार्थ अग्रेषित।
- 04 समस्त अधिकारी/शिक्षक/कर्मचारी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

(दीपक शर्मा)  
कुलसचिव